



राजस्थान सरकार



कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग)

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

website: <https://www.rghs.rajasthan.gov.in>

email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

क्रमांक- F1(297)/RGHS/Confed/E-Pharma/21-22/ 1498

दिनांक:- 22-11-2021

समस्त निजी फार्मा स्टोर्स
राजस्थान।

विषय:- आरजीएचएस में फार्मा स्टोर्स को अवधि में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में फार्मा स्टोर्स के अनुमोदन के लिए उनकी स्थापना को 1 वर्ष होना आवश्यक था जिसमें अब छूट देते हुए 1 वर्ष की बाध्यता को समाप्त किया जाता है। अब वे फार्मा / मेडिकल स्टोर्स भी आरजीएचएस में कैशलेस ओपीडी सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्हे स्थापित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ है।

(शिखा विक्रम)

परियोजना निदेशक(RGHS)

वित्त भवन, जयपुर।

क्रमांक- F1(297)/RGHS/Confed/E-Pharma/21-22/ 1499-1506

दिनांक:- 22-11-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, सचिवालय, जयपुर
3. औषधि नियंत्रक, जयपुर
4. समस्त अतिरिक्त औषधि नियंत्रक
5. प्रबन्धक, कॉन्फैड, जयपुर
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, जयपुर
7. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/परियोजना/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग
8. रक्षित पत्रायली

(शिखा विक्रम)

परियोजना निदेशक (RGHS)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
जयपुर